

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 03-12-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-101-स्वास्थ्य उपकेन्द्र-0003-स्वास्थ्य उपकेन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹2,92,56,085/- (दो करोड़ बेरान्चे लाख छप्पन हजार पच्चासी रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-14(7)ब दिनांक-12.06.18 एवं 41(7)ब दिनांक-01.10.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹2,92,56,085/- (दो करोड़ बेरान्चे लाख छप्पन हजार पच्चासी रु.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. ~~सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।~~
3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-101-स्वास्थ्य उपकेन्द्र-0003-स्वास्थ्य उपकेन्द्र विपत्र कोड-20-2210031010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को नियमित व्यय हेतु उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।
7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
9. स्थायी पद के विरुद्ध नियुक्त कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
10. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

11. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समंकित कर प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना का भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव



ज्ञापक : 61(7)A

पटना, दिनांक : 03-12-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/दिल्ली विभाग के शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित क्षेत्रीय उच्च निदेशक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई सुप्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र उपशीर्षक का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	योग वेतन	यात्रा भत्ता (11-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मधुबनी	200000	300000	1200000	1600000	5100000	150000	5250000	2795/5.11.18
2	सिवान	610000	91500	85400	37100	824000	0	824000	41/26.10.18
3	औरंगाबाद	500000	75000	70000	30000	675000	52000	727000	2115/25.10.18
4	कटिहार	66100	9915	9254	3966	89235	3000	92235	2475/26.10.18
5	बेगूसराय	1200000	180000	480000	720000	2580000	0	2580000	2172/1.11.18
6	नवादा	870000	130500	435000	60900	1496400	0	1496400	2993/27.10.18
7	समस्तीपुर	1200000	180000	720000	960000	3060000	20000	3080000	2237/25.10.18
8	बक्सर	480000	72000	67200	28800	648000	0	648000	2533/26.10.18
9	सारण	1200000	180000	720000	960000	3060000	0	3060000	3011/23.10.18
10	बाँका	47000	7050	6580	2820	63450	0	63450	2259/25.10.18
11	गया	1500000	225000	900000	1200000	3825000	0	3825000	3360/29.10.18
12	सुपौल	900000	135000	126000	54000	1215000	30000	1245000	1584/1.11.18
13	भोजपुर	900000	135000	126000	54000	1215000	0	1215000	4118/27.10.18
14	पूर्वी चम्पारण	2000000	300000	1200000	1600000	5100000	50000	5150000	2390/16.11.18
	कुल	13473100	2020965	6145434	7311586	28951085	305000	29256085	

(दो करोड़ बेरान्चे लाख छप्पन हजार पच्चासी) रु० मात्र

61(रज)७
03-12-18

सरकार के विशेष सचिव
रजि

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0003-01-01)	320000000	305540000	13473100	319013100	986900
2	जीवन यापन भत्ता (0003-01-03)	48000000	45838000	2020965	47858965	141035
3	मकान किराया भत्ता (0003-01-04)	51200000	42775600	6145434	48921034	2278966
4	चिकित्सा भत्ता (0003-01-06)	28800000	18337100	7311586	25648686	3151314
	योग 20-2210.03.101.0003.01 वेतन	448000000	412490700	28951085	441441785	6558215
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003-06-01)	1900000	20000	0	20000	1880000
6	यात्रा व्यय (0003-11-01)	2800000	1297000	305000	1602000	1198000
7	विधि प्रभार (0003-13-05)	1000	0	0	0	1000
8	किराया महसूल एवं कर (0003-14-01)	2500000	0	0	0	2500000
9	प्रशिक्षण व्यय (0003-20-03)	10700000	0	0	0	10700000
10	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0003-27-02)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	465902000	413807700	29256085	443063785	22838215

61 (7) A

03-12-18

सरकार के विशेष सचिव

25/12